

कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या 329/ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक 9/11/2025

सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को सविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से घयन के मामले में नियुक्ति/तैनाती व अर्हियों को उक्त कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापि संख्या-180/एन०डी०/2025 दिनांक 25-08-2025 के संदर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ट्रामा सेंटर के अन्तर्गत सविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापि की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम्०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०वाई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को सविदा के आधार पर मरे जाने हेतु इन पदों पर घयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त घयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अर्हियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापि जारी होने के पश्चात माह के प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 21-11-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अर्हियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम्०डी०टी०/पी०सी०पी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.psvmmedicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशेषता का नाम	सविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रेक्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रेक्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रेक्टर कमाक	
1	आर्थोपेडिक्स	1	अनारक्षित	(4)	1	ओपी०सी० अनारक्षित	(57) (58)	1	ओपी०सी० एस०सी०	(9) (101)	
2	आपथलमोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	1	अनारक्षित एस०सी०	(104) (105)	
3	आन्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोलॉजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(65)	0	0	0	
4	हृदय-हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ओपी०सी०	(66) (67)	1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित	(110) (111) (112)	
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएमआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओपी०सी०	(37)	1	एस०सी०	(59)	
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओपी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओपी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओपी०सी०	(39) (40) (51) (76) (86) (87)	
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित ओपी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओपी०सी० अनारक्षित	(8) (9) (68) (69) (70) (71) (72)	1	ओपी०सी० अनारक्षित एस०सी० ओपी०सी० ओपी०सी० एस०सी० ओपी०सी०	(13) (14) (15) (80) (113) (115) (119)	
9	एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएमआई)	0	0	0	1	ओपी०सी०	(39)	1	ओपी०सी०	(61)	
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओपी०सी०	(57)	0	0	0	0	0	0	
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओपी०सी० ओपी०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(19) (81) (121) (160)	
12	किटिकल केयर (पीएमएसएमआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	1	अनारक्षित	(62)	
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ओपी०सी० अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० ओपी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(76) (77) (78) (80) (81) (104) (31)	1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० एस०टी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओपी०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओपी०सी०	(20) (41) (47) (52) (53) (54) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (126) (127)	
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	अनारक्षित ओपी०सी० ओपी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(84) (85) (87) (88) (89)	1	1(ट्रामा) अनारक्षित अनारक्षित ओपी०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओपी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० ओपी०सी० अनारक्षित ओपी०सी० अनारक्षित ओपी०सी० एस०सी०	(24) (44) (52) (65) (99) (100) (129) (130) (131) (165) (166) (167) (169)	
15	दृष्टिकुलॉसिस एण्ड रीस्परेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(94) (90) (106)	1	ओपी०सी०	(133)	
16	डरमिटोलॉजी (स्कॉन एण्ड वी०डी०)	1	ओपी०सी०	(65)	0	0	0	1	एस०सी०	(135)	
17	डिप्लोमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	न्यूरोसर्जरी	1	एस०सी०	(26)	1	एस०सी०	(111)	0	0	0	
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएमआई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	

21	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलोजी(पीएमएसएसवाइ)	1	ओपीडीसी	(27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	0	1	अनारक्षित एसओसी	(92)	1	0	एसओसी	0	
						1	अनारक्षित	(93)	1		ओपीडीसी	(139)	
						1	अनारक्षित	(94)			ओपीडीसी	(171)	
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाइ)	1	एसओसी	(45)	1	0	अनारक्षित	(95)					
24	फंगलाजी	0	0	0	0	0	एसओसी	(47)	1		ओपीडीसी	(71)	
25	फार्माकालोजी	1	एसओसी	(49)	1	0	0	0	1		अनारक्षित	(92)	
							एसओसी	(25)	1		एसओसी	(93)	
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहबिलिटेशन (पीएमएसएसवाइ)	1	अनारक्षित	(46)	0	0	0	0	1		अनारक्षित	(144)	
27	फिजियोलाजी	0	0	0	0	0	0	0	1		एसओसी	(173)	
									1		0	0	
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	0	1		ओपीडीसी	(46)	
									1		अनारक्षित	(94)	
29	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	0	अनारक्षित	(96)	1		एसओसी	(145)	
30	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1		अनारक्षित	(146)	
31	मेडिकल गैस्ट्रोइन्टोलाजी	0	0	0	0	0	0	0	0		अनारक्षित	(174)	
32	यूरालोजी (पीएमएसएसवाइ)	0	0	0	1	0	इंडस्ट्रियल एसओ	(50)	0		0	0	
33	रेडियोलॉजी	1	ओपीडीसी	(37)	1	0	0	0	0		0	0	
					1	0	इंडस्ट्रियल एसओ	(30)	1		ओपीडीसी	(37)	
					1	0	अनारक्षित	(98)	1		अनारक्षित	(38)	
					1	0	एसओसी	(99)	1		अनारक्षित	(56)	
					1	0	इंडस्ट्रियल एसओ	(100)	1		अनारक्षित	(152)	
					1	0	एसओसी	(101)	1		एसओसी	(153)	
					1	0	अनारक्षित	(102)	1		अनारक्षित	(154)	
									1		ओपीडीसी	(155)	
									1		अनारक्षित	(156)	
									1		ओपीडीसी	(157)	
33	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	0	ओपीडीसी	(103)	1	1	फिजिसिस्ट	ओपीडीसी	(161)
												अनारक्षित	(158)
		13				49				80			

- उक्त पदों पर नियमानुसार आस्वजन देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रयत्ना फार्मसी पद हेतु ₹-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
 - शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आय सीमा 70 वर्ष होगी।
 - शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आय नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
 - घयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थात् तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थात् को पूर्ववर्ती अर्थात् पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
 - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा को की जारी सेवा नियमावली (घयन संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुरूप होगी।
 - ओपीडीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
 - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवानिवृत्त लाभ अनुभव नहीं होंगे।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थात्/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
 - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमनितकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
 - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन युगतान करके समाप्त की जा सकती है।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नविय में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमनितकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगा और न ही उन्हें नियमित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुभव होगी।
 - अभ्यर्थियों से सामाजिक कार्य के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
 - उपरोक्त शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यलय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टीसी-11 दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत इंडस्ट्रियल एसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आस्वजन का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल कार्मिक आय ₹० 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहता नवीन एम०एच०डी० गाइड लाइन के अनुसार अनुभव होगी।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
 - जो अभ्यर्थी एम०डी०/एम०एस० के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं-329 / तददिनांक

- प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
 - समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
 - नौडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर
10/11/2024